



राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

:: आदेश ::

S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 11255/2017

Gajendra Singh son of Sumeh singh by caste Rajput resident of Bhinyakalla Gachipura Police Station District Nagaur presently of Ramzan Ka Hatha, Ekta Nagar, Banar Police Station, Jodhpur.

(Presently lodged in Sub Jail, Parbatsar)

....Petitioner

VERSUS

State of Rajasthan through PP

....Respondent

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुख्तयार खान।
लोक अभियोजक श्री दीपक चौधरी।

:: आदेश ::

12.12.2017

न्यायालय द्वारा :

प्रार्थी की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के विरुद्ध इसी प्रकृति का अन्य कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। बरामदशुदा शराब अंग्रेजी है एवं अधिक से अधिक टैक्सी चोरी का मामला हो सकता है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने विरोध किया।



समस्त तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, बरामदशुदा शराब की प्रकृति एवं इसी प्रकृति का अन्य कोई मुकदमा प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन नहीं होने के क्रम में जो तर्क योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकट किये गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन निम्न शर्त के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी गजेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी पुलिस थाना, पीलवा जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-34/2016 अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का बन्ध-पत्र एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

शर्त—

कि प्रार्थी के विरुद्ध इसी प्रकृति का अन्य कोई मुकदमा विचाराधीन होना पाया जाता है तो अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने के क्रम में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—
उपरोक्त निर्णय/आदेश भारत सरकार
का राजपत्र संख्या-1, दिनांक 02
जनवरी, 1999 में प्रकाशित गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग के
संकल्प/नोटिफिकेशन के तहत संबंधित
भाषा (हिन्दी) में खुले न्यायालय में
लिखाया गया।